प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.............वर्ष ....**2022**..
2. प्र.इ.रि.सं. 419/**2022**.............. दिनांक 21/10/2022
   (I) * अधिनियम – ...**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा ...7
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....
   (III) * अधिनियम.............................–.............................. धाराएं...................–........................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....385..............समय.........2:30 pm.........
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– .... **दिनांक 19.10.2022 वक्त 2.45 पी.एम**..........
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....18.10.2022..
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –**बजानिब उत्तर करीब 100 किलोमीटर**
   (ब) पता – पुलिस थाना महाजन, जिला बीकानेर
   बीटसंख्या......–............जुरायमदेही सं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–...............................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – श्री रणजीत सिंह,
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री श्रवण सिंह राजपूत
   (स) जन्म तिथि/आयु – 30 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा –
   (ल) पता – विजय एसटीडी के पास, सागर रोड़ तिलक नगर बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   श्री महेश कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जाति बलाई उम्र 38 वर्ष निवासी पथवारी का मोहल्ला वार्ड नम्बर 5,नीमका थाना जिला सीकर हाल हैड कानि 199 पुलिस थाना महाजन जिला बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....5000/– रूपये भारतीय मुद्रा..के नम्बरी नोट
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SU) बीकानेर।

विषय :– रिश्वत लेने वाले पुलिस कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़वाने बाबत् प्रार्थना पत्र।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि प्रार्थी रणजीत सिंह निवासी तिलक नगर बीकानेर का हूं। मेरे पास चार ट्रक (गाड़ी) है। ट्रक नम्बर RJ07GC8823 ट्रेलर है। जिसका ड्राईवर मैं स्वंय हूं। दिनांक 15.10.22 को जगदेववाला के पास से चुना पाउडर भरकर बुडलाडा (पंजाब) के लिए रवाना हुआ। इससे पहले मैने यह पाउडर मेरी गाड़ी नम्बर RJ07GC8158 पर लोड करवाया बिल्टी बनवाई थी। मेरी गाड़ी की कबानी (पट्टा) टुटने के कारण मैनें मेरी गाड़ी नम्बर RJ07GC8823 के नम्बर प्लेट खोलकर मेरी दुसरी गाड़ी की नम्बर प्लेट RJ07GC8158 लगा ली थी। वक्त करीब 8:30–9:00 बजे श्याम को मेरी गाड़ी को महाजन पुलिस थाना की पुलिस ने रोक ली। मेरी गाड़ी को छोड़ने के बदले महेश पुलिस कर्मचारी ने 40000/– रिश्वत की मांग की कहा कि सीआई साहब ने बोला है आपकी गाड़ी चोरी की है। आपने दुसरी नम्बर प्लेट लगा रखी है। मुझे साईड में ले जाकर महेश ने मेरी जेब से 1500 रूप्ये निकाल लिये और कहा आपकी गाड़ी जमानत जल्दी करवा देंगे। मेरी गाड़ी को थाना के अन्दर खड़ी कर के दो टायर की हवा निकाल दी मेरी गाड़ी की आरसी लेकर गाड़ी को 102 धारा में जब्त कर लिया मगर मुझे मेरी गाड़ी की रशीद नहीं दि उसके बाद मैं महाजन थाना में गया तो महेश छुटटी पर चला गया मैने फोन पर बात कि तो महेश पुलिस कर्मी मेरे से मेरी गाड़ी का चालान कोर्ट में पेश करने के बदले 5000/– रूप्ये रिश्वत कि मांग कर रहा है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं महेश पुलिस कर्मचारी से मेरा कोई उधार का लेन देन नहीं है। कृप्या कानूनी कार्यवाही करें।

एसडी रणजीतसिंह
प्रार्थी
रणजीत सिंह पुत्र श्रवण सिंह
जाती राजपुत निवासी – विजय STD
के पास सागर रोड तिलक नगर
बीकानेर
mobile - 8619052971

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 18.10.2022 वक्त 04:10 पीएम पर श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी विजय एसटीडी के पास सागर रोड़ तिलक नगर बीकानेर होना बताकर रणजीत सिंह का प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। परिवादी श्री रणजीत सिंह के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी रणजीत सिंह का प्रार्थना पत्र व रणजीत सिंह को हमराह लेकर अपने कक्ष में पंहुची। परिवादी रणजीत सिंह ने पुछने पर बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे स्वंय द्वारा लिखा गया है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। परिवादी श्री रणजीत सिंह ने पुछने पर बताया कि मेरे नाम से ट्रक नम्बर RJ07GC8823, RJ07GC8158, RJ07GC3016 एंव RJ07GC6283 है जिनको मैं स्वंय व ड्राईवर चलाते है। दिनांक 1510.2022 को मेरी गाड़ी

नम्बर RJ07GC8158 में चुना पाउडर ले जाने हेतु जगदेववाला के पास से लोड किया था तथा बिल्टी इसी गाड़ी की बनी थी परन्तु रास्ते में उक्त गाड़ी की कबाणी टूटने से मैनें इस गाड़ी में भरा चुना पाउडर मेरी दुसरी गाड़ी RJ07GC8823 में भर लिया तथा बिल्टी में गाड़ी के नम्बर होने से इस गाड़ी के बिल्टी वाले नम्बर प्लेट लगाकर मैं चुना पाउडर पंजाब ले जा रहा था। उस रोज करीब 8:30–9:00 पीएम पर मेरी गाड़ी पुलिस थाना महाजन के स्टाफ द्वारा रूकवाई गई। श्री महेश पुलिस कर्मचारी ने मेरे से मेरी गाड़ी छोड़ने के बदले 40,000/– रूपये रिश्वत के मांगे तथा कहा कि आपकी गाड़ी चोरी की है, दुसरी नम्बर प्लेट लगा रखी है तथा मुझे साईड में ले जाकर मेरी जेब से 1500/– रूपये निकाल लिये व कहा कि आपकी गाड़ी की जल्दी जमानत करवा देंगे। मेरी गाड़ी को थाना महाजन में ले जाकर गाड़ी की आरसी लेकर धारा 102 सीआरपीसी में जब्त कर ली, उसने जल्दी कार्यवाही कर कागजात कोर्ट में भिजवाने के लिए मेरे से 5000/– रूपये मांगे। मैं थाना महाजन पर दिनांक 17.10.22 को गया तो श्री महेश पुलिसकर्मी छुट्टी पर था। मेरे मोबाईल नम्बर 8619052971 पर श्री महेश पुलिसकर्मी के मोबाईल नम्बर 9079274448 करीब 10:00 बजे कॉल की तथा कहा कि अभी मैं अवकाश पर हूं। मैंने एक प्रार्थना पत्र भी थाना में दिया था। श्री महेश पुलिसकर्मी मेरी गाड़ी की जांच जल्दी कर कागज कोर्ट भिजवाने के बदले 5000/– रूपये रिश्वत मांग रहा है। मेरा श्री महेश पुलिसकर्मी से कोई उधारी का लेनदेन नहीं है ना ही कोई उससे रंजिश है। मैं श्री महेश पुलिसकर्मी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। श्री रणजीत सिंह से पुलिस थाना महाजन में पेश किये गये प्रार्थना पत्र व दोनो गाड़ियों के कागजात के संबंध में पुछा तो बताया कि कागजात घर पर है जो बाद में आपको पेश कर दुंगा। जिस पर परिवादी श्री रणजीत सिंह को उक्त कागजात की छायाप्रतियां कल दिनांक 19.10.2022 को पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादी की रिपोर्ट व पुछताछ से एक लोकसेवक द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने का कृत्य प्रथम दृष्ट्या पीसी एक्ट की परिधि में आता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। वक्त 5:00 पीएम पर परिवादी रणजीत सिंह को रिश्वत राशि की मांग की गोपनीय सत्यापन करवाने बाबत् प्रकिया बताई तो परिवादी श्री रणजीत सिंह ने बताया कि श्री महेश पुलिसकर्मी बहुत चालाक है जो रिश्वत की मांग कर मौके पर ही रिश्वत राशि ले लेता है तथा लेन देन के लिए समय भी नही देता है। मैं कल दिनांक 19.10.22 को सुबह जल्दी पुलिस थाना महाजन जिला बीकानेर पर जाकर श्री महेश पुलिसकर्मी से वार्ता कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दुंगा। जिस पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि 482 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री रणजीत सिंह व श्री योगेन्द्र सिंह कानि का आपस में परिचय करवाया गया तथा रणजीत सिंह व योगेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को दिलवाये गये। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य श्री योगेन्द्र सिंह कानि. को बताये गये। श्री योगेन्द्र सिंह कानि. के समक्ष श्री रणजीत सिंह को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु, बन्द व वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में परिवादी व योगेन्द्र सिंह कानि. के समक्ष नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया गया। श्री योगेन्द्र सिंह कानि. को हिदायत की गई कि कल सुबह रणजीत सिंह के साथ पुलिस थाना महाजन जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाना है। श्री रणजीत सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रूपये की व्यवस्था कर वक्त 7:30 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। वक्त 5:30 पीएम पर परिवादी को कल दिनांक 19.10.2022 को वक्त 7:30 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर रवाना किया गया एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि. को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर के नाम की तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 5:50 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 कार्यालय जिला परिषद बीकानेर गया हुआ अपने साथ दो स्वंतत्र गवाह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। जिनका परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम कमशः श्री हमीर सिंह पुत्र श्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पास, इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर हाल सहायक विकास अधिकारी कार्यालय जिला परिषद बीकानेर एवं श्री मनोज कुमार मूण्ड पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद जाति जाट निवासी मूण्ड मार्केट के सामने, तिलक नगर बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद बीकानेर होना बताया। वक्त 06:05 पीएम पर दोनो गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर कल दिनांक 19.10.2022 को प्रातः 07.30 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत किया

गया। साथ ही ब्यूरो स्टाफ को भी प्रातः 07.00 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया।

दिनांक 19.10.2022 वक्त 07:40 एएम पर पाबंद शुदा ब्यूरो स्टाफ कार्यालय में हाजिर है। पूर्व पाबंद शुदा दोनो गवाहान श्री हमीर सिंह सहायक विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार मूण्ड कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये, जिनसे गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्राप्त की गई। पूर्व पाबंद शुदा परिवादी श्री रणजीत सिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया व पुलिस थाना महाजन में पूर्व में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.022 की प्रति, गाडी नंबर आजे–07 जीसी–8823 व आजे–07 जीसी–8158 की आर.सी. व बीमा पॉलिसी की फोटो प्रतियां पेश की, जिन पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात किये गये। पूछताछ पर परिवादी श्री रणजीतसिंह ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रू. साथ लाना एवं श्री महेश पुलिसकर्मी रिश्वत की मांगकर तुरन्त ही देने हेतु दबाव बनाता है तथा रूपयो की व्यवस्था करने हेतु बहुत ही कम समय देता है, 102 सीआरपीसी की जांच में वो मेरी गाडियों के कागजात फोटो प्रतियां मांगेगा जिनकी फोटो प्रतियां अलग से मेरे पास है इत्यादि बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री रणजीत सिंह से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाकर उस पर हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 08:10 एएम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत की गई कि आरोपी से सम्पर्क करने के लिए परिवादी को रवाना करने से पूर्व डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री रणजीत सिंह को देवें तथा सत्यापन के पश्चात डिजीटल टेप रिकॉर्डर पुनः प्राप्त कर बंद कर अपने पास रखें व मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करावें। साथ ही परिवादी श्री रणजीत सिंह व कानि. श्री योगेन्द्र सिंह को हिदायत की गई कि मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल आपके पास पीछे–पीछे रवाना होकर कस्बा महाजन से 7–8 किलोमीटर पूर्व मुकीम रहूंगी। तत्पश्चात श्री योगेन्द्र सिंह को मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर व परिवादी श्री रणजीत सिंह को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने के लिए कस्बा महाजन की तरफ रवाना किया गया। गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में उपयोग हेतु एक प्राईवेट वाहन जरिये टेलिफोन तलब कर मंगवाया गया। दर्ज रहे कि परिवादी के कथनानुसार आरोपी मौके पर ही रिश्वत की मांग कर प्राप्त कर लेता है तथा लेन देन हेतु समय नही देता है, ऐसी स्थिति में कम समय में ही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होने से मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री जमील अहमद कानि. से मंगवाकर प्राईवेट वाहन की डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टाफ श्री गुरमेल सिंह निरीक्षक पुलिस, श्री मंगतूराम हैड कानि. 71, श्री दामोदरसिंह कानि. नंबर 137, श्री जमील अहमद कानि0 नंबर 147, श्री मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हमीर सिंह व श्री मनोज कुमार मूण्ड के विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि आवश्यक सामग्री सहित जरिये प्राईवेट वाहन टवेरा नंबर आरजे–43 यूए–0017 मय चालक के कस्बा महाजन की तरफ वक्त 8:50 एएम पर रवाना होकर हमराहियान सहित महाजन से करीब 8 किलोमिटर पूर्व चहल ढाबा श्रीगंगानगर–बीकानेर रोड पर वक्त 11:00 एएम पर पहुंचकर श्री योगेन्द्रसिंह कानि के मोबाईल सूचना के इन्तजार में मुकीम हुई। वक्त 12:30 ए.एम. पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि ने श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री रणजीतसिंह ने बताया कि उसकी आरोपी महेश से बात हो गई है तथा पांच हजार रूपये रिश्वत का लेन देन तय हुआ है। जिस पर योगेन्द्रसिंह कानि को हिदायत की गई कि आप परिवादी को साथ लेकर रोड पर बीकानेर साईड में आ जाओ हम गाडी लेकर वहीं आ रहे है। वक्त 12:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान, श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक, मंगतुराम हैड कानि, मुकेश शर्मा वरिष्ठ लिपिक को हमराह लेकर वहां से रवाना होकर महाजन बस स्टैण्ड से कुछ पहले पंहुची तो योगेन्द्रसिंह कानि व परिवादी रणजीतसिंह उपस्थित मिले, श्री योगेन्द्रसिंह कानि ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया, योगेन्द्रसिंह कानि व परिवादी श्री रणजीतसिंह को साथ लेकर वहां रवाना होकर वक्त 01:05 पीएम पर चहल ढाबा पर पहुंची। परिवादी श्री रणजीतसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री महेश पुलिसकर्मी ने मेरे 102 सीआरपीसी की जांच में मेरी गाडीयों के कागजात लिये तथा जांच के कागजात जल्दी कोर्ट भेजने के बदले 10 हजार रूपये रिश्वत के मांगे तो मैंने कहा मेरे पास पांच हजार ही है तो उसने कहा जल्दी ले आओ। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को दोनों गवाहान, परिवादी श्री रणजीतसिंह, श्री योगेन्द्रसिंह की उपस्थिति में लैपटॉप से

कनेक्टर कर सुना गया तो परिवादी रणजीतसिंह के कथन की ताईत हुई। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने जल्दी ही रिश्वत राशि मंगवाई है यदि जल्दी ही उसको रिश्वत राशि नहीं दी गई तो उसको शक होने के कारण वो रिश्वत राशि नहीं लेगा। रिश्वत राशि आरोपी द्वारा शीघ्र मंगवाई गई है तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने में समय लगना है इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट बाद में तैयार करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण के समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 01:25 पी. एम. पर गवाहान के समक्ष श्री जमील अहमद कानि 147 से प्राईवेट वाहन टवेरा आरजे–43–यूए–0017 की डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर सीसी मंगवाई गई। परिवादी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी विजय एसटीडी के पास सागर रोड़ तिलक नगर बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले पांच हजार रूपये पांच सौ रूपये के 10 नोट भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	3QE 516627
2	———"———	3QE 516628
3	———"———	3QE 516629
4	———"———	3QE 516630
5	———"———	3QE 516631
6	———"———	3QE 516632
7	———"———	6BB 736934
8	———"———	1CF 109149
9	———"———	2FN 279520
10	———"———	7AW 085203

उपरोक्त सभी नोटो को एक सफेद कागज पर रखवाकर श्री जमील अहमद कानि 147 से फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रणजीत सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री हमीर सिंह से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक सामान नहीं पाया गया। उपरोक्त रिश्वती राशि को परिवादी रणजीत सिंह की पहनी हुई शर्ट के उपरी सामने की बांई जेब में श्री जमील अहमद कानि से रखवाई गई। परिवादी रणजीत सिंह को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत राशि देने के बाद आरोपी से हाथ नहीं मिलायें। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात अपने मोबाईल नम्बर 8619052971 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल 7725922388 पर मिस कॉल या वाट्सअप मैसेज करे तथा यदि सम्भव हो तो अपनें सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात गाड़ी में उपलब्ध पानी की बोतल से कांच के एक साफ गिलास में पानी भरवाया जाकर सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री जीमल अहमद कानि के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को फिंकवाया गया व सफेद कागज जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा श्री जीमल अहमद कानि के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी रणजीत सिंह को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सूपूर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी को उसका मोबाईल सूपुर्द किया गया। श्री जमील अहमद कानि को फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी सहित बीकानेर के लिए रवाना होने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपुदर्गी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन

पाउडर तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री जमील अहमद कानि को मय फिनोफ्थ्लीन पाउडर सहित बीकानेर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 02:05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, श्री गुरमेलसिंह पु.नि, मंगतुराम हैड कानि, दामोदरसिंह कानि, योगेन्द्रसिंह कानि, मुकेश शर्मा वरिष्ठ लिपिक के प्राईवेट वाहन टवेरा से चहल ढाबा से रवाना होकर वक्त 02:25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराहियान सहित महाजन बस स्टेण्ड से पहले गाडी का रूकवाकर परिवादी श्री रणजीतसिंह को कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया था को चालू करके श्री रणजीतसिंह को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना महाजन के लिए रवाना किया तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य थाने आस पास खडे होकर परिवादी के रिश्वत लेन देन होने का पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए।

वक्त 02:45 पीएम पर परिवादी श्री रणजीत सिह पुत्र श्रवण सिह जाति राजपुत निवासी विजय एस टीडी के पास सागर रोड बीकानेर ने अपने मोबाइल नम्बर 8619052971 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 7725922388 पर मिसकॉल कर रिश्वत लेन देन होने का पूर्व निर्धारित इशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक पिंकी गंगवाल उपरोक्त दोनो गवाहान हमीर सिह व मनोज कुमार मुण्ड, सर्वश्री गुरमेल सिह पुलिस निरीक्षक, मंगतुराम हैडकानि 71, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, दामोदर सिह कानि 137 व योगेन्द्र सिह कानि 482 को हमराह लेकर पुलिस थाना महाजन मे प्रवेश किया तथा परिवादी द्वारा पुर्व मे बताये अनुसार थानाधिकारी कक्ष से एक कमरा छोडकर दुसरे कमरे के पास पहुंची तो गेट पर परिवादी रणजीत सिंह खडा मिला जिससे डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी श्री रणजीतसिंह ने उक्त कमरे में गेट के सामने रखी टेबल के पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि यह महेश जी है जिन्होने अभी कुछ जरूरी कागजात पर मेरे हस्ताक्षर करवाये तथा मेरे से रिश्वत की राशि मांग कर लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की उपरी बांयी जेब मे रख ली। उक्त कमरे के गेट के उपर बैरक मुलाजमान लिखा है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान के उक्त कमरे में प्रवेश किया तथा कमरे मे खडे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पुछा तो वह कुछ नही बोला तथा पुनः पुछने पर अपना नाम महेश कुमार पुत्र मुलचंद जाति बलाई उम्र 38 साल निवासी पथवारी का मोहल्ला वार्ड नम्बर 05 नीम का थाना जिला सीकर हाल हैड कानि 199 पुलिस थाना महाजन जिला बीकानेर होना बताया। श्री महेश कुमार हैडकानि से परिवादी रणजीत सिह से रिश्वत की राशि लेने बाबत पुछा तो कहा कि अभी इसने मुझे 5 हजार रूपये दिये थे जो मेरी पहनी हुयी शर्ट की उपरी बांयी जेब मे है। श्री महेश कुमार से रिश्वत की राशि किस काम के लिए लिये है बाबत पुछने पर बताया कि रणजीत सिह का काम जल्दी करने के लिये रणजीत सिह ने मुझे दिये थे। मैने रणजीत सिह को कहा था कि आपका चालान 2 नवबंर को होगा और मैंने राशि लौटानी चाही तो इसने मना कर दिया। मौके पर उपस्थित परिवादी रणजीत सिह ने बताया कि दिनांक 15.10.2022 को महेश कुमार द्वारा मेरे से गाडी छोडने के लिए 40000/– रूपये मांगे गये थे जो मैंने नहीं दिये तो मेरी गाडी 102 सीआरपीसी में जप्त कर ली थी। आज सुबह मै महेश हैडकानि से मिला था तो इसने मेरे गाडी के कागजात लेकर चालान जल्दी कोर्ट मे पेश करने के बदले में मेरे से दस हजार रूपये मांगे तथा इनमे से थानाधिकारी को देने के लिये भी कहा था तो मैने कहा मेरे पास 5 हजार ही है तथा रिश्वत की मांग के क्रम मे अभी मेरे से कागजो पर हस्ताक्षर करवाकर रिश्वत के 5 हजार रूपये लिये है। रिश्वत लेन देन की ताहिद होने पर कांच के दो अलग–अलग साफ गिलासो मे साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के एक गिलास मे श्री महेश कुमार हैडकानि 199 के दाहिने हाथ अगुंलियो व अगुंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे दो कांच की शीशीयो मे आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दुसरे गिलास के रंगहीन घोल मे श्री महेश कुमार हैडकानि 199 के बांये हाथ की अगुंलियो व अगुंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे दो कांच की शीशीयो मे आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री महेश कुमार हैडकानि को परिवादी श्री रणजीत सिंह से प्राप्त रिश्वत राशि को पेश करने के निर्देश दिये तो उसने अपनी पहनी हुयी शर्ट की उपरी बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोट निकाल कर टेबिल पर रख दिये जो गवाह मनोज कुमार मुण्ड से उठवाये गये। गवाह मनोज कुमार

मुण्ड ने नोटो को गिनकर 500–500 के दस नोट कुल 5 हजार रूपये होना बताया। आरोपी महेश कुमार द्वारा पेश किये गये नोटो के नम्बरो का मिलान पुर्व मे तैयार की गयी फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही से दोनो गवाहान करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द मे अंकितानुसार हुबहू पाये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। सभी नोटो को एक सफेद कपडे की चिंदी की सहायता से सीलचिट कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी ली गयी। उक्त कमरे मे श्री महेश कुमार हैडकानि के कपडे रखे है जिनमे से एक टी–शर्ट महेश कुमार को देकर पहनी हुयी शर्ट उतरवाकर टी–शर्ट बदलवाई गयी। कांच के एक साफ गिलास मे साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल बनवाया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल के गिलास मे महेश कुमार की शर्ट की जेब जिसमे से रिश्वत की राशि मिली थी, के जेब को उलटवाकर 5–6 बार डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशीयो मे आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एस–1, एस–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वती राशि महेश कुमार की शर्ट की जेब से बरामद हुयी जिसके जेब को सुखाकर संबधितो के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट बंरग सफेद को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सीलचिट कर मार्क ए अंकित कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी ली गई। श्री महेश कुमार हैडकानि से परिवादी रणजीत सिह के ट्रक(ट्रेलर) जप्ती 102 सीआरपीसी के कागजात बाबत पुछा गया तो अपनी टेबल से एक कागजात की पत्रावली पेश कर बताया कि दिनांक 15.10.2022 को मेरी डीओ डयुटी थी उस रात थानाधिकारी श्री अनिल कुमार झाझडिया पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार मैने रणजीत सिंह की गाडी को थाने लाया था। श्री अनिल कुमार ने मुझे कहा था कि यदि रणजीत सिह 40,000/– रूपये देता है तो उसकी गाडी छोड दो और पैसे नही देता है तो 102 सीआरपीसी मे गाडी जप्त कर लो। रणजीत सिह ने 40,000/– रूपये नही दिये तो मैने उसकी गाडी को 102 सीआरपीसी मे जप्त कर ली। आज सुबह रणजीत सिह मेरे पास आया था तथा अपनी गाडी की आरसी, आधार कार्ड व डीएल की फोटोप्रति पेश की थी जिस पर मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर थानाधिकारी के अभी हस्ताक्षर करवाये है। महेश कुमार द्वारा पेश कागजात का अवलोकन किया तो पाया गया कि थानाधिकारी महाजन द्वारा जांच श्री महेश कुमार हैड कानि 199 को सुपुर्द की गई है, श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट लुणकरणसर के नाम 102 सीआरपीसी में तथ्यात्मक रिपोर्ट रणजीत सिह पुत्र श्रवण सिह की तैयार गयी है। जिस पर थानाधिकारी श्री अनिल कुमार झाझडिया के हस्ताक्षर है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार जांच मे ट्रक नम्बर आरजे 07 जीसी 8823 किसी संज्ञेय अपराध मे शरीक होना या काम लिया जाना अब तक की जाचं मे नही पाया जाना तथा माननीय न्यायलय द्वारा वाहन को उसके मालिक को सुपुर्द करे तो कोई आपति नही बाबत तैयार की गयी है। थानाधिकारी श्री अनिल कुमार झाझडिया का पता किया तो अपराध संख्या 141/22 में जैर ईलाज पीडिता ललिता के बयान लेने बीकानेर जाना बताया। जिस पर ईंचार्ज थाना को तलब करने पर श्री राजेन्द्र कुमार उप निरीक्षक उपस्थित आये जिसको कार्यवाही बाबत बताकर 102 सीआरपीसी पत्रावली रणजीतसिंह/श्रवणसिंह सुपुर्द कर उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने के निर्देश देने पर श्री राजेन्द्रसिंह ने उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति तैयार कर पेज 1 से 18 तक पेश की जिसके प्रथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई तथा मूल पत्रावली श्री राजेन्द्र कुमार उप निरीक्षक को सुपुर्द की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को गवाहान के समक्ष चलाकर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होनी पायी गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाने का निर्णय लिया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी महेश कुमार हैड कानि 199 पुलिस थाना महाजन जिला बीकानेर द्वारा रिश्वत की मांग कर 5000/– रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध कारित किया है। अतः आरोपी महेश कुमार हैड कानि को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना गिरफ्तार किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान आरोपी महेश कुमार के निवास स्थान की खाना तलाशी करवाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो (एसयू) बीकानेर को जरिये मोबाईल निवेदन किया गया। आरोपी श्री महेश कुमार ने थानाधिकारी श्री अनिल कुमार झाझडिया द्वारा दिनांक 15.10.2022 को परिवादी की गाडी रोकने, 40000/– रूपये मांगने व पैसे नहीं देने पर 102 में जप्त करने के निर्देश स्वयं को देना बताया है जिस पर श्री गुरमेल सिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा

थानाधिकारी श्री अनिल कुमार झाझडिया को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैं बीकानेर से थाना महाजन आ रहा हूं। घटना स्थल का नियमानुसार फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल कागजात किया गया। फर्द पीतल की सील नम्बर 25 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री महेश कुमार हैड कानि 199 पुलिस थाना महाजन जिला बीकानेर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। विस्तृत फर्द गिरफ्तारी श्री महेश कुमार तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी महेश कुमार हैड कानि 199 के अनुसंधान कक्ष कम निवास स्थान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी तैयार की गई। वक्त 08:05 पी.एम. पर गिरफतारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु एक तहरीर जारी कर श्री गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री दामोदर सिंह कानि0, श्री मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक के साथ आरोपी श्री महेश कुमार हैड कानि. को जरिये प्राईवेट वाहन टवेरा मय चालक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महाजन जिला बीकानेर के लिए रवाना किया गया। वक्त 08:13 पी.एम. पर दर्ज रहे कि अब तक श्री अनिल कुमार थानाधिकारी, पुलिसथाना महाजन में उपस्थित नही आये है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर 7725922388 से श्री अनिल कुमार के मोबाईल नंबर 9928055346 पर पुनः सम्पर्क किया गया तो उनका मोबाईल नंबर नोट रिचेबल आया। श्री अनिल कुमार के उपस्थित नही आने से आरोपी श्री महेश कुमार द्वारा बताये गये तथ्यो के संबंध मे श्री अनिल कुमार से पूछताछ नही हो सकी। वक्त 08:35 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के गये हुए श्री गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ के आरोपी श्री महेश कुमार का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट लेकर आये और मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की। उक्त स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर शामिल कागजात किया गया। वक्त 08:45 पी.एम. पर दर्ज रहे कि रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जानी है जिसमें अधिक समय लगने की संभावना है। साथ ही रात्रि का समय हो चुका है। लिहाजा अग्रिम कार्यवाही कल दिनांक 20.10.2022 को किये जाने का निर्णय लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ, दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफतार शुदा आरोपी श्री महेश कुमार, परिवादी श्री रणजीत सिंह, प्रकरण में जब्त वजह सबूत धोवनो की 06 सिल्ड शीशीयां, शर्ट का सिल्ड पैकेट, बरामदा रिश्वती राशि 5000/– रू. के सिल्ड नोट तथा ट्रेप बॉक्स, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि आवश्यक सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन टवेरा व अन्य साधन से बीकानेर के लिए रवाना होकर पुलिस थाना सदर बीकानेर पंहुच, मुल्जिम महेश कुमार को जमा हवालात करवाकर हमराहियान सहित वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा वक्त 11:05 पी.एम. पर पंहुच कर प्रकरण में वजह सबूत जब्त धोवनो की 06 सिल्ड शीशीयां, शर्ट का सिल्ड पैकेट, बरामदा रिश्वती राशि 5000/– रू. के सिल्ड नोट इत्यादि आईटम्स जमा मालखाना करने हेतु श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि0 को सुपुर्द किये। प्रकरण से संबंधित कागजात व डिजीटल टेप रिकॉर्डर जिसमें मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता रिकॉर्ड है को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हमीर सिंह व श्री मनोज कुमार मूण्ड तथा परिवादी श्री रणजीत सिंह को कल दिनांक 20.10.2022 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूखसत किया।

दिनांक 20.10.2022 वक्त 07:55 एएम पर पाबंद शुदा ब्यूरो स्टाफ कार्यालय में हाजिर है। पूर्व पाबंद शुदा दोनो गवाहान श्री हमीर सिंह सहायक विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार मूण्ड कनिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री रणजीत सिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये है। वक्त 8:00 एएम पर दोनो गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.10.2022 एवं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 19.10.2022 रिकॉर्ड है जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा हुआ है को निकाल कर विभागीय लेपटॉप से कनेक्ट कर दोनो वार्ताओं को सुन– सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेन देन वार्ता तैयार कर, मूल मैमोरी कार्ड में उपलब्ध रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.10.2022 एवं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 19.10.2022 की दोनो ऑडियो फाईल की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से दो अलग–अलग पेन ड्राईव में प्रतियां तैयार की गई। दोनो पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव को उसके सेफटी कंवर में डालकर सेफटी कंवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपड़े की एक थैली में डालकर सिलाई कर सिल चिट् कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे पेन ड्राईव को सेफ्टी कवर में डालकर सफेद कपड़े की एक चिट् के साथ सील चिट् किया गया। मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकॉर्डर से सुरक्षित

निकालकर उसके सेफटी कंवर में डालकर सेफटी कंवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपड़े की एक थैली में डालकर सिलाई कर सिल चिट् कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। सील्डशुदा पेनड्राईव, खुला पेनड्राईव व सील्डशुदा मैमोरी कार्ड जरिये श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि 23 के जमा मालखाना करवाये गये। पीतल की सील को अनुपयोगीकर फर्द नष्टीकरण तैयार की गई। दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हमीर सिंह सहायक विकास अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार मूण्ड कनिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री रणजीत सिंह को मुनासिब हिदायत कर फारिग किया गया। आरोपी महेश कुमार हैड कानि को माननीय न्यायालय में पेश किया जिस पर आरोपी को जेसी फरमाना जाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई।

उपरोक्त हालात से आरोपी श्री महेश कुमार हैड कानि. 199 पुलिसथाना महाजन जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री रणजीत सिंह से उसके चूना पाउडर से भरे हुए ट्रक को दिनांक 15.10.2022 को धारा 102 सीआरपीसी के तहत जब्त कर उसके कागजात वास्ते जमानत संबंधित कोर्ट शीघ्र पेश करने के एवज में दिनांक 19.10.2022 को रिश्वत राशि 5000 रू. मांग कर, प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा श्री महेश कुमार पुत्र मुलचंद जाति बलाई उम्र 38 साल निवासी पथवारी का मोहल्ला वार्ड नम्बर 05 नीम का थाना जिला सीकर हाल हैड कानि0नं0 199 पुलिस थाना महाजन जिला बीकानेर के विरूद्ध बिना नम्बर प्रथम सूचना तैयार कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान् महानिदेषक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(पिंकी गंगवाल)
पुलिस निरीक्षक
एसीबी (एसयू) बीकानेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस. यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेश कुमार, हैड कानि0 नं. 199, पुलिस थाना महाजन, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 419/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक 3649-54 दिनांक 21.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

21.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।